

धारी तहसीलदार खण्डेला ने जोई आपनि जाहीर नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं पेशवा राजीनामा का अवलोकन किया जिनके अवलोकन से एवं लोक अदालत की प्रसन्नता के आश्रय का वाक्य स्वीकार किया जाकरें योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की जाती की जाती है कि:-

आदेश



तन ग्राम सामोता का बास तह. खण्डेला जिस सीमा राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 250, 271 ता 273, 275 रकबा 2.44 है. सम्पूर्ण में से 122/305 हिस्सा का वादी नं. 3 को, 183/1220 हिस्सा का वादी नं. 5 ता 7 को, व 549/1220 हिस्सा का वादी नं. 1 व 2 को तथा ख. नं. 169/1, 169/2 व 173/1, 173/2 रकबा 3.04 है. सम्पूर्ण के 1/2 हिस्सा का वादी नं. 1 व 2 को तथा शेष 1/4 हिस्सा का वादी नं. 8 को, 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नं. 14 को, 1/2 हिस्सा का वादी नं. 13 ता 15 को, 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी नं. 6 ता 13 वादी नं. 10 ता 12 को व 1/12 भाग का वादी नं. 9 को तथा तन ग्राम शाहपुरा अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 33 रकबा 1.07 है. के 1/2 हिस्सा वादी नं. 1 ता 4 व प्रतिवादी नं. 5 ता 7 के सुतल पिता पोखर का नाम हजफ किया जाकर 10/107 हिस्सा का वादी नं. 5 ता 7 को, 87/214 हिस्सा का वादी नं. 4 को तथा ख. नं. 66 रकबा 3.18 है. के 1/2 भाग वादी नं. 1 ता 4 व प्रतिवादी नं. 5 ता 7 के सुतल पिता पोखर का नाम हजफ किया जाकर 1/4 हिस्सा का वादी नं. 4 को व

५ हिस्सा का बाकी तं. 5 ता 7 को खालीदार काय-
काय चौकित किया जाता है। एकताबुसार
राजस्व रिजॉर्ड में असल दामद हो। तदनुसार
पर्या डिफ्री जाती हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा बाय तलमील दाखिल इफ्त
हो। निर्णय मजमें आम सुनाया गया।

(Handwritten Signature)

भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेल

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उगवान

① गिच्ची * बनाम ① सत्ता देवी *

दावा बाबत दौखणा, त्वाह निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 60/2017

निर्णय दिनांक :- 13/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री खन्वारी लाल जांरू

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तब ग्राम सामोता का वास तह. खण्डेला जिला सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि
ख.नं. 250, 271 ता. 2.73, 2.75 एकबा 2.4पेटे. सम्पूर्ण में से 122/305 हिस्सा का वादी
नं. 3 जो, 183/1220 हिस्सा का वादी नं. 5 ता. 7 जो, व 549/1220 हिस्सा का वादी
नं. 1 व 2 जो तथा ख.नं. 169/1, 169/2 व 173/1, 173/2 एकबा 3.04 हे. सम्पूर्ण
के 1/2 हिस्सा का वादी नं. 1 व 2 जो तथा शेष 1/4 हिस्सा का वादी नं. 8 जो,
1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नं. 14 जो, 1/2 हिस्सा का वादी नं. 13 ता. 15 जो, 1/2 हिस्सा
का प्रतिवादी नं. 6 ता. 13 वादी नं. 10 ता. 12 जो व 1/2 हिस्सा का वादी नं. 9 जो *

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 13/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़

- * उर्फ गीदा ④ लक्ष्मी ③ भजना ④ दीपलाल पुत्रगण नौपाराम
 - ⑤ पितेंद्र ⑥ रामावता ⑦ अनिल कुमार पुत्रगण पौखर
 - ⑧ लालू पुत्र जोड़ू ⑨ बंसीधर पुत्र भगवाना
 - ⑩ राजेन्द्र ⑪ स्त्रीतमल ⑫ सतवीर पुत्रगण जगदीश
- समस्त जाति मेघवंशी (बलर्ह) निः सामौता का बास तह. खण्डेला
- ⑬ हरिशंकर ⑭ धर्मा ⑮ ममता पुत्रगण बलवीर नाबालिक
- जीए संरक्षक पिता बलवीर पुत्र मैदूराम जाति बलर्ह निः
बस्सी तह. खण्डेला जिला सीकर राज.

- वादीगण

बनाम

- * ② तारा देवी ③ सुप्यार देवी ④ संगीता देवी ⑤ मीना देवी
- पुत्रियां पौखर ⑥ ज्याना देवी ⑦ मंगली देवी ⑧ सावित्री देवी
- ⑨ सुगता पुत्रियां जगदीश ⑩ कमला देवी पत्नी पैपाराम
- ⑪ सुनील ⑫ अनिल ⑬ मंजू पुत्र/पुत्री पैपा पौंग/पौत्री
- जगदीश तबालिक जीए संरक्षक माता कमला देवी पत्नी पैपाराम
- ⑭ श्रवणी देवी पुत्री सैदू समस्त जाति मेघवंशी (बलर्ह) निः
- सामौता का बास तह. खण्डेला जिला सीकर राज.
- ⑮ भूमिधारी तहसीलधार खण्डेला

- उत्तिवादीगण



* तब्या तन ग्राम शाहपुरा अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 33 एका 1.07 है. के 1/2 हिस्सा वादी नं. 1 ता 4 व उत्तिवादी नं. 5 ता 7 के मृतक पिता पौखर का नाम हजफ किया जाकर 10/107 हिस्सा का वादी नं. 5 ता 7 को, 87/214 हिस्सा का वादी नं. 4 को तब्या ख. नं. 66 एका 3.18 है. के 1/2 हिस्सा वादी नं. 1 ता 4 व उत्तिवादी नं. 5 ता 7 के मृतक पिता पौखर का नाम हजफ किया जाकर 1/4 हिस्सा का वादी नं. 4 को व 1/4 हिस्सा का वादी नं. 5 ता 7 को खतियार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त कृषि राजस्व रिकॉर्ड में उमल दायम है।

नामीरख शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(आस्ट्रेक) खण्डेला